

माननीय उच्च न्यायालय पटना में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 10563/2023

=====

1. अशोक कुमार ठाकुर, पिता श्री बिंदेश्वर ठाकुर, निवासी फ्लैट नंबर 2/डी, स्नेहा प्लाजा, सरदार पटेल पथ, उत्तर एस. के. पुरी, थाना-श्री कृष्ण पुरी, जिला-पटना, बिहार-800013
2. नीरज कुमार, पिता राजदेव सिंह निवासी हाउस संख्या 15, गोकुल मार्ग, उत्तर एस. के. पुरी, थाना-श्री कृष्ण पुरी, जिला-पटना, बिहार-800013
3. श्रवण कुमार, पिता स्वर्गीय चक्रवर्ती प्रसाद, निवासी फ्लैट संख्या जी6, ब्लॉक ए, टेरेस गार्डनिया सोसाइटी शिव शंभू नगर, आशियाना दीघा रोड, पटना, बिहार-8000141

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19 हार्डिंग रोड, पटना 800001।
5. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19 हार्डिंग रोड, पटना 800001।
6. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19 हार्डिंग रोड, पटना 800001।
7. परीक्षा नियंत्रक, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19 हार्डिंग रोड, पटना 800001।

..... प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री कुमार कौशिक,
 राज्य के अधिवक्ता : श्री एस. डी. यादव, ए. ए. जी-9
 बीटीएससी के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

=====

सेवा विधि – पद – इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मेडिकल सर्विस रूल्स, 2022 – सहायक निदेशक के पदों में से एक पद मेडिकल कार्डियोलॉजी कैडर में है – जहाँ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में स्नातकोत्तर और कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी है – बाल रोग में स्नातकोत्तर सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी कैडर) के बिल में फिट नहीं हो पाएगा – पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कैडर में विशिष्ट आवश्यकता नियोनेटोलॉजी या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में विशेषज्ञता के लिए है और कार्डियोलॉजी में एक सुपर स्पेशियलिटी भी बील में फिट नहीं होगी – रोगियों की व्यापकता और किए गए पाठ्यक्रमों के संदर्भ में, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी योग्यताएँ संस्थान की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है – रिट ग्रहण करने का कोई भी कारण नहीं है – रिट खारिज । (Para 9)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

=====

समक्ष: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

मौखिक निर्णय

(आदेश: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख: 16-04-2024

याचिकाकर्ता इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मेडिकल सर्विस रूल्स, 2022 (संक्षिप्त रूप में 'नियम') के परिशिष्ट-1 में सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी) और सहायक निदेशक (पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी) के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं से व्यथित हैं, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत तैयार किया गया है। नियमों के अनुसार और इसके अनुसार, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उपरोक्त पदों के लिए 03.01.2023 को एक विज्ञापन संख्या 01/2023 प्रकाशित किया गया था; जो कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशियलिटी तक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करता है। निर्धारित योग्यता याचिकाकर्ताओं को विज्ञापन के तहत आवेदन करने के लिए योग्य नहीं मानती है, जिससे याचिकाकर्ता असंतुष्ट है।

2. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता शुरुआत में बताते हैं कि रिट याचिका में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा लाए गए चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 1998 पर निर्भरता रखी गई थी। जिसे निरस्त कर दिया गया है और अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा लाए गए चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम, 2022 लागू है।

4. यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए योग्य हैं और सहायक निदेशक का पद कॉलेज में केवल एक प्रशासनिक पद नहीं है बल्कि एक संकाय पद भी है। योग्यता का निर्धारण राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी विनियमन के खिलाफ है और यह याचिकाकर्ताओं को अनुचित रूप से पूर्वाग्रहित करता है, तर्क है।

5. प्रतिवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता हालांकि तर्क देते हैं कि नियोक्ता के पास योग्यता निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है; जो एक पद के लिए आवश्यकताओं के आधार पर भी है।

6. तथ्यों पर यह ध्यान देना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता योग्य डॉक्टर हैं जिनके पास एमबीबीएस में बुनियादी डिग्री, पीडियाट्रिक्स में एम. डी. और कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी डी. एम. है। जहाँ तक एमबीबीएस के अलावा सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी कैंडर) के लिए योग्य योग्यता की बात है; जो मूल डिग्री है, एक आवेदक के पास मेडिसिन में एम. डी. और कार्डियोलॉजी में डी. एम. होना चाहिए। इसी तरह, सहायक निदेशक (पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कैंडर) के पद के लिए, एक आवेदक के पास पीडियाट्रिक्स में एम. डी. और नियोनेटोलॉजी या पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी में डी. एम. होना चाहिए।

7. सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी कैंडर) के पद के लिए आवेदन करते समय, याचिकाकर्ता अयोग्य होते हैं क्योंकि वे बाल रोग में स्नातकोत्तर हैं जबकि आवश्यकता चिकित्सा में है। जहाँ तक सहायक निदेशक (पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी) का संबंध है। याचिकाकर्ताओं के पास बाल रोग में एम. डी. है, लेकिन उनके पास सुपर स्पेशलिटी योग्यता नहीं है।

8. हम सभी और विभिन्न बीमारियों का इलाज करने वाले सामान्य चिकित्सकों के युग को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। हम सुपर स्पेशलिटी के युग में हैं; चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में की गई विशाल प्रगति के कारण। हालांकि, एम. बी. बी. एस. की डिग्री रखने वाला एक योग्य चिकित्सक कई विभिन्न चिकित्सा समस्याओं को देखेगा, विशेषज्ञता के युग में विशिष्ट बीमारियों को एक विशेषज्ञ द्वारा देखे जाने और उनका इलाज करने की आवश्यकता होती है। विज्ञापित पद केवल प्रशासनिक प्रकृति के नहीं हैं; हम विद्वान सलाहकार से सहमत हैं। वे संकाय पद हैं और अधिकारी भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में आने वाले रोगियों का इलाज करने के लिए बाध्य होंगे। यह संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों और इलाज की जाने वाली निर्दिष्ट बीमारियों के संदर्भ में ऐसी आवश्यकताओं पर आधारित है कि किसी पद के लिए योग्य योग्यता निर्धारित की गई है। जब नियुक्ति प्राधिकारी, एक अस्पताल, वह भी एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में, किसी विशेष पद के लिए योग्यता निर्धारित करता है; यह अदालतों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है, विशेष रूप से समान लेकिन समान विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को पद के लिए आवेदन करने से अक्षम होने के कारण होने वाली कठिनाई के आधार पर।

9. वर्तमान मामले में, हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि सहायक निदेशक के पदों में से एक पद मेडिकल कार्डियोलॉजी कैंडर में है, जहां प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में स्नातकोत्तर और कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी है। बाल रोग में स्नातकोत्तर सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी कैंडर) के योग्य नहीं

हो पाएगा। इसी तरह, पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कैंडर में विशिष्ट आवश्यकता नियोनेटोलॉजी या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में विशेषज्ञता के लिए है और कार्डियोलॉजी में एक सुपर स्पेशलिटी भी योग्य नहीं होगी। रोगियों की व्यापकता और किए गए पाठ्यक्रमों के संदर्भ में, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी योग्यताएँ संस्थान की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। हम रिट याचिका पर विचार करते हुए उसे खारिज करते हैं।

10. मध्यवर्ती याचिकाओं, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

सुजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।